JALAUN POLICE

दिनांक – 21.01.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 03 अभियोग में 04 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्तगण 1. रामलला पुत्र वीर सिंह 2. मालती पत्नी वीर सिंह 3. यासीन उर्फ बल्ली पुत्र अहमद मंसूरी समस्त निवासीगण ग्राम सरावन थाना गोहन जनपद जालौन द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में कोतवाली माधौगढ में मु0अ0सं0 223/2017 (वाद संख्या – 123/2017) धारा 363/366/368/376(2)(i)/376D भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.01.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त रामलला उपरोक्त को धारा 366 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 35,000/- रूपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता मालती उपरोक्त को धारा 368 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – अभियुक्त जौनी पुत्र लक्ष्मीनारायण नि0 खैरई थाना रामपुरा जनपद जालौन द्वारा वादिया के नाबालिग पुत्र के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना रामपुरा में मु0अ0सं0 292/2016 (वाद संख्या – 97/2018) धारा 377/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त जौनी उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.01.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जौनी उपरोक्त को धारा 506 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण तृतीय- कोतवाली कोंच में मु0अ0सं0 209/2004 (वाद संख्या– 493/2004) धारा 279/337/338/427 भादवि बनाम देवनारायण उर्फ नारायण पाल पुत्र मंशाराम पाल नि0 अकोढ़ी थाना कोंच जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंच, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त देवनारायण उपरोक्त को दोषी पाते हुये 3,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।